



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.04.2025

- महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2025 धारा 64(1)/137(2) बीएनएस, 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 12.04.2025 को वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 138/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 01 नफर नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों/तथ्यों के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस, धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त छोटू उर्फ जितेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम भदखार थाना सहायल जनपद औरैया उम्र 18 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 17.04.2025 को समय 09.00 बजे बेला-रसूलाबाद रोड सिठऊमताना मोड़ पर थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. छोटू उर्फ जितेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम भदखार थाना सहायल जनपद औरैया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0138/2025 धारा 64(1)/137(2) बीएनएस, 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा।
2. का0 318 अंकित कुमार।
3. का0 271 विनोद कुमार।